The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) (Adhiniyam 1972) Adaptation and Modification Order-2002, First Amendment Act, 2003

Act 10 of 2003

Keyword(s):
Agriculture, Mandi, Market, APMC, Agriculture Produce Market Committee

Amendments appended: 19 of 2003, 8 of 2004, 24 of 2005, 5 of 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–089

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 180/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर दि0 16–04–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 10, सन् 2003)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 दिसम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल राज्य के संबंध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2002 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर 2003 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

मरोसी लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal [Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 10 of 2003) for general information :

No. 180/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPAKALIK VYAVASTHA) ACT, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (FIRST AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 10 OF 2003)

AN
ACT

Replacing Bill of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (First Amendment) Ordinance, 2002.

It is HEREBY enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title & commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 2002.

Amendment of section 2 of the Principal Act

2. In section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 for the words and figures 'till December 31, 2002', the words and figures 'till December 31, 2003 shall be substituted.

Repeal and savings

3. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972 Adaptation and Modification Order, 2002 (Uttaranchal Amendment) Adhyadesh, 2002 is hereby repealed.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 विधायी/139–2003–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–03

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0
पौष 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 478/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दि0 28–12–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 19, वर्ष 2003)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2003 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून, 2004 तक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 19 of 2003) for general information :

No. 478/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 01, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28–12–2003.

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ACT, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 19 OF 2003)

For further amendment in The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Act, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title & commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be come into force atonce.

Amendment of section 2 of the Principal Act

2. In section 2 of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 for the words and figures "till December 31, 2003", the words and figures "till June 30, 2004" shall be substituted.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई०

श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 212/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004

देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2004)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन के लिए प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "30 जून 2004 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून 2005 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (अध्यादेश संख्या 1, वर्ष 2004) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

No. 212/Vidhayee and Sansadiya Karya/2004
Dated Dehradun, August 05, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2004 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2004).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on August 04, 2004.

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1972] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002 (THIRD AMENDMENT) ACT, 2004

(UTTARANCHAL ACT No. 08 OF 2004)

Replacing Act further to amend the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 in its application to the State of Uttaranchal

AN
ACT

Promulgated by the Governor in the Fifty fifth year of the Republic of India, as follows:–

Short title, Commencement and Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Act, 2004.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

2. In Section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 for the words and figures, "till June 30, 2004" the words and figures, "till June 30, 2005" shall be substituted. — Amendment of Section 2 of the Principal Act

3. (1) The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed. — Repeal & Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 विधायी/327–2004–78+500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–137(ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 609/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 24, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 24, सन् 2005)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर लागू होगा।

धारा 2 का संशोधन

2–उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में, "30 जून, 2005 तक" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2006 तक" अंक तथा शब्द रखे जायेंगें।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3–(1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 24 of 2005) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 27, 2005.

No. 609/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITI (ALPKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1972] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2005
(UTTARANCHAL ACT No. 24 OF 2005)

Further to amend the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 in its application to the State of Uttaranchal

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :--

Short title, Commencement and Application

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall apply to the whole State of Uttaranchal.

Amendment of Section 2

2. In section 2 of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation and Modification Order, 2002, for the words and figures, "till June 30, 2005" the words and figures, "till June 30, 2006" shall be substituted.

Repeal & Savings

3. (1) The Uttaranchal [The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972] Adaptation & Modification Order, 2002 (Fourth Amendment) Ordinance No. 01, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 46 विधायी/432–2005–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–53

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई०
चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 718/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन), 2006 पर दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 05, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम सं० 05, सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावन वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) का संशोधन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निम्नवत् संशोधन किये जायेंगे:–

धारा 13 की उपधारा (7) में शब्द 'समिति' एवं 'रीति' के मध्य शब्द "के निर्वाचित सदस्य विहित" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3–(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (Second amendment) Bill; 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 05 or 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04--04--2006.

No. 718/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT NO. 05 OF 2006)

A Bill further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 in application to the State of Uttaranchal--

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-seven the Year of the Republic of India, as follows :–

Short title, Application and Commencement

1--(1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (Second Amendment) Act, 2006.

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

2--The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be amended as follows:-- Amendment of Section 13, Sub-section 7 of the Principal Act

The words "The elected members of" shall be prefixed to sub-section (7) of section 13.

3--(1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation & Modification Order, 2002 (Second Amendment) Ordinance 2005 (No. 04, 2005) is hereby repealed. Repeal & Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 विधायी/194–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।